



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 72-2021/Ext.]

चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 07 मई, 2021 (17 वैशाखा, 1943 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं।	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
1.	अधिसूचना संख्या सांका०नि० 7/सवि०/अनुच्छेद 309/2021, दिनांक 07 मई, 2021 — हरियाणा विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ग) राज्य संवर्ग सेवा (संशोधन) नियम, 2021।	261-264
2.	अधिसूचना संख्या सांका०नि० 8/सवि०/अनुच्छेद 309/2021, दिनांक 07 मई, 2021 — मेवात जिला विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2021। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	265-268
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग-III

हरियाणा सरकार

विद्यालय शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 मई, 2021

संख्या सांकांनि० 7/सवि०/अनुच्छेद 309/2021— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ग) राज्य संवर्ग सेवा नियम, 2012, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- ये नियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ग) राज्य संवर्ग सेवा (संशोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।
- हरियाणा विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ग) राज्य संवर्ग सेवा नियम, 2012 में, परिशिष्ट ख में, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 5 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविशिष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविशिष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4
"5.	टी०जी०टी० अंग्रेजी	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी अनिवार्य या ऐच्छिक या कोर या ऑनर्स विषय के रूप में अंग्रेजी में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक डिग्री तथा बीटीसी/ जेबीटी/ डी.एड. (शिक्षा में डिप्लोमा)/मौलिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) में टीचिंग विषय के रूप में अंग्रेजी; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी अनिवार्य या ऐच्छिक या कोर या ऑनर्स विषय के रूप में अंग्रेजी में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक डिग्री तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस संबंध में, समय-समय, पर जारी किए गए मान्यता मानदण्ड और प्रक्रिया विनियमों के अनुसार शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)/बी. एड. (विशेष शिक्षा) में टीचिंग विषय के रूप में अंग्रेजी; या अंग्रेजी विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित मौलिक शिक्षा (बी.एल.एड.) में चार वर्षीय स्नातक; या अंग्रेजी विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित चार वर्षीय एकीकृत बी.ए. बी.एड.; (ii) अंग्रेजी विषय में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एच०टी०ई०टी०) होने का अर्हक प्रमाण पत्र; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	पदोन्नति द्वारा - (i) नियमित प्राथमिक शिक्षक (पी०आर०टी०/जेबीटी)/क्लासीकल और वर्नाक्यूलर अध्यापक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; तथा (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी अनिवार्य या ऐच्छिक या कोर या ऑनर्स विषय के रूप में अंग्रेजी में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक डिग्री तथा बीटीसी/ जेबीटी/ डी.एड. (शिक्षा में डिप्लोमा)/मौलिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) में टीचिंग विषय के रूप में अंग्रेजी; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी अनिवार्य या ऐच्छिक या कोर या ऑनर्स विषय के रूप में अंग्रेजी में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक डिग्री तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस संबंध में, समय-समय, पर जारी किए गए मान्यता मानदण्ड और प्रक्रिया विनियमों के अनुसार शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)/बी.एड. (विशेष शिक्षा) में टीचिंग विषय के रूप में अंग्रेजी ; या अंग्रेजी विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित मौलिक शिक्षा (बी.एल.एड.) में चार वर्षीय स्नातक; या अंग्रेजी विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित चार वर्षीय एकीकृत बी.ए.बी.एड.।

1	2	3	4
			स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) नियमित टीजीटी अंग्रेजी के रूप में पांच वर्ष का टीचिंग अनुभव; तथा (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी अनिवार्य या ऐच्छिक या कोर या ऑनर्स विषय के रूप में अंग्रेजी में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक डिग्री तथा बीटीसी/जेबीटी/डी.एड. (शिक्षा में डिप्लोमा)/मौलिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) में टीचिंग विषय के रूप में अंग्रेजी; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी अनिवार्य या ऐच्छिक या कोर या ऑनर्स विषय के रूप में अंग्रेजी में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक डिग्री तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस संबंध में, समय-समय, पर जारी किए गए मान्यता मानदण्ड और प्रक्रिया विनियमों के अनुसार शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)/बी.एड. (विशेष शिक्षा) में टीचिंग विषय के रूप में अंग्रेजी; या अंग्रेजी विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित मौलिक शिक्षा (बी.एल.एड.) में चार वर्षीय स्नातक; या अंग्रेजी विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित चार वर्षीय एकीकृत बी.ए. बी.एड.; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।”।

आनन्द मोहन शरण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 7th May, 2021

No. G.S.R. 7/Const./Art. 309/2021.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana School Education (Group C) State Cadre Service Rules, 2012, namely:-

1. These rules may be called the Haryana School Education (Group C) State Cadre Service (Amendment) Rules, 2021.

2. In the Haryana School Education (Group C) State Cadre Service Rules, 2012, in Appendix B, under columns 1, 2, 3 and 4, against serial number 5, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

1	2	3	4
"5	TGT English	(i) Bachelor's Degree from a recognized university with at least 50% marks in English as compulsory or elective or Core or Honours subject and English as a teaching subject in BTC/JBT/D.Ed. (Diploma in Education)/Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.); OR Bachelor's Degree from a recognized university with at least 50% marks in English as compulsory or elective or Core or Honours subject and English as a teaching subject in Bachelor of Education (B.Ed.)/ B.Ed. (Special Education) in accordance with the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard; OR Four years Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.) with at least 50% marks in English subject; OR Four years integrated BA.B.Ed. with at least 50% marks in English subject; (ii) Certificate of having qualified Haryana Teacher Eligibility Test (HTET) in English subject; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.	By Promotion – (i) Three years experience as regular Primary Teacher (PRT/JBT) / classical and vernacular Teacher; and (ii) Bachelor's Degree from a recognized university with at least 50% marks in English as compulsory or elective or Core or Honours subject and English as a teaching subject in BTC/JBT/D.Ed. (Diploma in Education) / Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.); OR Bachelor's Degree from a recognized university with at least 50% marks in English as compulsory or elective or Core or Honours subject and English as a teaching subject in Bachelor of Education (B.Ed.)/B.Ed. (Special Education) in accordance with the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard; OR Four years Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.) with at least 50% marks in English subject; OR Four years Integrated BA. B.Ed. with at least 50% marks in English subject. By transfer or deputation – (i) Five years Teaching Experience as regular TGT English; and (ii) Bachelor's Degree from a recognized university with at least 50% marks in English as compulsory or elective or Core or Honours subject and English

1	2	3	4
			as a teaching subject in BTC/JBT/ D.Ed./ Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.); OR Bachelor's Degree from a recognized university with at least 50% marks in English as compulsory or elective or Core or Honours subject and English as a teaching subject in Bachelor of Education (B.Ed.)/B.Ed. (Special Education) in accordance with the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard; OR Four years Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.) with at least 50% marks in English subject; OR Four years Integrated BA.B.Ed. with at least 50% marks in English subject; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.”.

ANAND MOHAN SHARAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
School Education Department.